(371)

पत्रांक–3 / एम०–60 / 2022सा0प्र0 6940 /

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

प्रत्यय अमृत,
मुख्य सचिव, बिहार

सेवा में,

सभी विभाग
सभी विभागाध्यक्ष
पुलिस महानिदेशक
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी

1020
24/04/26

पटना, दिनांक 17. 4 2026

विषय– सरकार द्वारा यथाविहित प्रावधानों के आलोक में ससमय कार्यालय आने, कार्यालय अवधि में मनोयोग से सरकारी दायित्वों का निर्वहन करने एवं कार्यालय अवधि की समाप्ति के बाद ही कार्यालय छोड़ने के संबंध में।

महाशय,

सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक–3450 दिनांक–02.12.2006 द्वारा पाँच दिवसीय कार्य सप्ताह प्रणाली लागू करते हुए कार्यालय अवधि 09:30 बजे पूर्वाह्न से 06:00 बजे अपराह्न तक निर्धारित किया गया है जिसमें अपराह्न 01:00 बजे से 02:00 बजे तक मध्याह्न भोजन का समय निर्धारित है। साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक–352 दिनांक–25.01.2007 द्वारा सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों में कार्यरत नियमित महिला कर्मियों की कार्यालय अवधि 09:30 बजे पूर्वाह्न से 05:00 बजे अपराह्न तक निर्धारित किया गया है।

2. पुनः सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक–4754 दिनांक–31.12.2007 द्वारा सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के लिए उक्त वर्णित समयावधि को यथावत् रखते हुए क्षेत्रीय कार्यालय (महाधिवक्ता बिहार का कार्यालय, प्रमण्डलीय आयुक्त के कार्यालय, मुख्य अभियंताओं के कार्यालय आदि सहित) में पुनः छः दिवसीय कार्य सप्ताह कार्य प्रणाली लागू की गयी है जिसमें कार्यालय अवधि 10:00 बजे पूर्वाह्न से 05:00 बजे अपराह्न तक (नवम्बर से फरवरी तक 10:30 बजे पूर्वाह्न से 05:00 बजे अपराह्न तक) निर्धारित करते हुए मध्याह्न भोजन का समय 01:30 बजे अपराह्न से 02:00 बजे अपराह्न तक निर्धारित किया गया है।

3. बिहार सरकार के कार्यालयों में सरकारी सेवकों की समयबद्ध उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए गृह विभाग के परिपत्र संख्या–8926 दिनांक–12.08.2022 द्वारा एवं सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या–15489 दिनांक–01.09.2022 द्वारा बायोमैट्रिक उपस्थिति दर्ज करने का प्रावधान किया गया है।

4. इस क्रम में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या–19930 दिनांक–12.12.2024 द्वारा निम्न निदेश भी संसूचित है–

"(i) उक्त संदर्भ में विहित प्रावधानों के अनुश्रवण हेतु कार्यालय में पदाधिकारियों एवं कर्मियों की उपस्थिति का औचक निरीक्षण किया जाय तथा अनुपालन नहीं करने वाले कर्मियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाय।

(ii) उपस्थिति विवरणी के आधार पर विलंब से कार्यालय आने की अवधि हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या–16458 दिनांक–12.09.2022 में विहित प्रावधानों के अनुरूप अनुमान्य अवकाशों का समायोजन स्थापना प्रभारी करेंगे। जिन सरकारी सेवकों के अवकाश खाते में कोई अवकाश शेष न हो, उनके विलंब से कार्यालय आने की स्थिति में, विलंब अवधि के लिए उनके वेतन से नियमानुसार आवश्यक कटौती की जाय। विशेष परिस्थिति में आवश्यक छूट, विभागाध्यक्ष प्रदान कर सकेंगे।

(iii) सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उपस्थिति विवरणी से संबंधित स्थापना प्रतिवेदन के आधार पर ही वेतन विपत्र तैयार करेंगे।"

5. उक्त वर्णित निदेशों के बावजूद भी कतिपय कर्मियों द्वारा कार्यालय अवधि में ससमय उपस्थिति/ससमय कार्यालय छोड़ने के प्रावधान का अनुपालन नहीं किये जाने अथवा कार्यालय में ससमय उपस्थिति के बावजूद भी कार्यालय अवधि में सरकारी दायित्वों का निर्वह्न नहीं किये जाने के दृष्टांत सामने आये हैं। यह सरकार के लिए चिन्ता का विषय है।

6. अतः निदेश दिया जाता है कि उक्त वर्णित प्रावधानों के अनुरूप ससमय कार्यालय आने, कार्यालय अवधि में मनोयोग से सरकारी दायित्वों का निर्वह्न करने एवं कार्यालय अवधि की समाप्ति के बाद ही कार्यालय छोड़ने के प्रावधान का दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय और इसके लिए अपने अधीनस्थों को भी निदेशित किया जाय।

विश्वासभाजन,

(प्रत्यय अमृत)
मुख्य सचिव,
बिहार

पशुपालन निदेशालय,

बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 7 स्था0 (7) विविध–21/2019.......1575(नि0) पटना–15, दिनांक 24/04/2026

प्रतिलिपि :– निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, बिहार, पटना/ सभी क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, बिहार/सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी, बिहार/सभी सहायक निदेशक (कुक्कुट) क्षेत्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र/चारा विकास पदाधिकारी, बिहार, पटना/सहायक निदेशक, पशुपालन, सूचना एवं प्रसार, पटना/गोशाला विकास पदाधिकारी, बिहार, पटना/विशेष उप निदेशक (प0 वि0), फ्रोजेन सीमेन बैंक–सह–बुल स्टेशन, पटना/ परियोजना पदाधिकारी, फ्रोजेन सीमेन बैंक, मुजफ्फरपुर/बाँका/पूर्णियाँ/सभी विशेष उप निदेशक (प0 वि0), वृहत पशु विकास परियोजना/सभी उप निदेशक (प0 वि0), मध्यम पशु विकास परियोजना/सभी सहायक निदेशक (प0 वि0), लघु पशु विकास परियोजना/मुख्य अनुदेशक, पशुपालन विद्यालय डुमरॉव,

बक्सर/प्रबंधक, हरियाणा पशु प्रजनन प्रक्षेत्र, डुमरॉव, बक्सर/पशुपालन निदेशालय अधिनस्थ सभी क्षेत्रीय कार्यालय प्रधान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपिः– पशुपालन निदेशालय अधीनस्थ पदस्थापित/प्रतिनियुक्त सभी पदाधिकारियों/कर्मचारियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना के आप्त सचिव/निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

24.4.26

संयुक्त निदेशक (मु0)।